

**कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)**  
**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०**  
**नवीन मण्डी स्थल, लखीमपुर खीरी**

पत्रांक :नि०-लखी०/ निविदा /2009-

128

दिनांक 26.12.2009

अल्प कालीन निविदा सूचना

जनपद- लखीमपुर खीरी की मण्डी समिति, लखीमपुर के आधुनिकीकरण के कार्य एवं मण्डी समिति, मैगलगंज क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 19 जनवरी, 2010 को मण्डी परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से 3.00बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन सांय 3.30बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि ( यदि उपस्थित हुए) के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक इस कार्यालय के साथ-साथ सम्मागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, लखनऊ एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखीमपुर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। सामान्य जमानत धनराशि का प्रमाण-पत्र एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के धरोहर धनराशि एफ०डी०आर० के रूप में जो उप निदेशक(निर्माण) लखीमपुर के पदनाम से बन्धक हो, जमा करने पर ही निविदा कय कर सकते हैं।

क्र०	कार्य का नाम	निविदा शुल्क (वैट सहित)	धरोहर धनराशि (ला०रु०में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	6	7
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखीमपुर					
1	01नग गैराज तथा 01नग सधिव आवास हेतु अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	113.00	0.06	तीन माह	"डी"
2	02नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प की आपूर्ति / स्थापना का कार्य।	57.00	0.01	एक माह	"डी"
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मैगलगंज (खीरी)					
1	ग्राम पथरा से नगरा पेन्टेड रोड तक लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1688.00	3.00	चार माह	"सी"

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. राशर्त निविदा मान्य नहीं होगी, एक या समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी उप निदेशक (निर्माण) को होगा।
3. शारानादेश संख्या 4435/छ-ए०-14-06-50(07) 2008- दिनांक 2.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र / हैसियत प्रमाणपत्र / रु० 100.00 (एक सौ मात्र)स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर घोषणापत्र (टी-4, टी-5 एवं टी-6) मूलरूप में संलग्न करना होगा।
4. परिषद पत्रांक मु०अभि०/1168भाग-4/2009-3123 दिनांक 29.1.2009 के अनुपालन में अनुसूचित जाति/जनजाति के निविदादाताओं हेतु 2% की जमानत धनराशि टेण्डर के समय तथा 8% की जमानत धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी। यह सुविधा "सी" एवं "डी" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों को अनुमन्य होगी।
5. परिषद पत्रांक मु०अभि०/(1168भाग-4)/2009-325 दिनांक 19.6.2009 के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के "ए" एवं "बी" श्रेणी के निविदादाताओं हेतु 2%की जमानत धनराशि टेण्डर के समय एवं 8% की जमानत धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी।
6. कन्डांक-1 एवं 2 पर अंकित निविदायें अनुसूचित जाति / जन जाति हेतु आरक्षित है।
7. कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मैगलगंज के अन्तर्गत गांगी गरी धरोहर धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर० अनुबंध गठन के समय प्रस्तुत करना होगा।

नोट :-

अन्य नियम एवं शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

( सत्यवीर वर्मा )  
उप निदेशक (निर्माण)